न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 49/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. प्रधुमनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी बाली
2. प्रमोदकंवर पत्नी प्रधुमनसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मुलियावास तहसील पाली		
3. नटवरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडी तहसील समदडी जिला बाड़मेर		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.9.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 03/2018 प्रधुमनसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नम्बर 131 की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है, उसमें आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किए एवं मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश जारी किए, किन्तु न तो रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया एवं न ही मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोठार में अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं विधिक प्रावधानों की पालना किए बगैर ही विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश पारित किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत भू0अ0नि0 स्तर के अधिकारी से मौका जांच करवाये जाने के आज्ञापक प्रावधान है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौका जांच रिपोर्ट तलब की एवं न ही रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग, वैकल्पिक मार्ग के अभाव के बारे में कोई टिप्पणी की। मात्र प्रकरण के निस्तारण की मंशा से विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत सरकारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र आदि प्राप्त किए बिना ही राजस्व लोक अदालत के तहत जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य पाया जाता है। जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए का प्रश्न है, तो इस कानून की मंशा खातेदारान् की कृषि संक्रियाओं में रास्ते को लेकर आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इस सन्दर्भ में आने वाला बाधाओं को दूर करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उप–धारा (1) के प्रावधानों की क्रियान्विति के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 से अध्याय 12 जोडकर नियम 68–70 के प्रावधान उपबन्धित किए गए है। इसी प्रकार राजकीय भूमि से रास्ता निकालने के सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के तहत प्रावधान जारी किए गए है। इसके अतिरिक्त मूल धारा 251ए में यह विशिष्ठ प्रावधान है कि आवेदन प्राप्त होने पर उसकी जांच एवं संवीक्षा भू0अ0नि0 स्तर के अधिकारी से करवाई जायेगी एवं न्यायालय का यह दायित्व होगा कि वह प्रार्थना पत्र की विधिवत जांच करें एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं वैकल्पिक मार्ग पर टिप्पणी अंकित करते हुए निष्कर्ष सहित अपना निर्णय पारित करें। हस्तगत प्रकरण में इस प्रक्रिया की पूर्णतः अनदेखी की गई है। इस कारण जैर अपील आदेश सिरे से ही खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 03/2018 प्रधुमनसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर जांच कर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली